



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन- 492001

फोन नंबर :- 0771 - 4918927

Email - office.rera.cg@gov.in, website- <https://rera.cgstate.gov.in/>

परिपत्र क्र: 151/रेरा/2026/2449

दिनांक : 23/07/2026

//परिपत्र//

विषय:- प्रकाशित विज्ञापनों आदि में रera पंजीयन क्रमांक एवं वेबसाइट पते का उल्लेख करने के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण।

- संदर्भ :-**
1. परिपत्र क्र. 21/रेरा/2018/675 रायपुर, दिनांक 03/11/2018.
 2. परिपत्र क्र. 84/रेरा/2023/889 रायपुर, दिनांक 05/07/2023.
 3. परिपत्र क्रमांक 118/रेरा/2025/429, दिनांक 02.06.2025

छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियामक और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11(2) के अनुसार प्रमोटर द्वारा जारी/प्रकाशित विज्ञापनों या प्रॉस्पेक्टस आदि से संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रera रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रera के वेबसाइट पते का प्रमुखता से उल्लेख किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से पूर्व में निर्देश जारी किए गये थे।

परिपत्र क्रमांक 118/रेरा/2025/429, दिनांक 02.06.2025 में निर्धारित प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, प्रत्येक प्रवर्तक द्वारा संबंधित पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजना से संबंधित प्रत्येक विज्ञापन, ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस, पैम्फलेट, डिजिटल विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री में निम्नलिखित विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा :

1. रera पंजीयन क्रमांक (RERA Registration Number);
2. छत्तीसगढ़ रera की वेबसाइट का पता (CGRERA Website Address);
3. छत्तीसगढ़ रera द्वारा जारी QR Code;
4. परियोजना के कलेक्शन खाते (Project Collection Account) का विवरण,

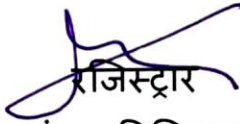
जिसमें-

- बैंक का नाम;
- खाते का नाम;
- खाता क्रमांक; तथा
- IFSC Code शामिल होगा।

उपरोक्त समस्त विवरण विज्ञापन में स्पष्ट, सुपाठ्य एवं प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

नोट:-इस संदर्भ में पूर्व के पारित सभी परिपत्र यथावत रहेंगे।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)



रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर छत्तीसगढ़